

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
—0—

क्रमांक 1131/एफ 2018-04-04371/स्था./चार नवा रायपुर, दिनांक 30/11/2021

प्रति,

कुल सचिव,
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय
खैरागढ़

विषय :- इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में दिनांक 27.08.2005 से नवीन अंशदायी
पेंशन योजना लागू करने बाबत।

संदर्भ :- इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ का ज्ञाप क्रमांक 557, दिनांक
05.12.2020

—0—

वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के (वित्त निर्देश 56/2012) परिपत्र क्रमांक 1230/एफ 1-41/2009/वित्त/स्था./चार/2012, दिनांक 01 अगस्त, 2012 द्वारा राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में दिनांक 01.04.2012 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया था।

2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के कर्मचारियों हेतु उपरोक्त उल्लिखित योजना दिनांक 01.04.2012 के स्थान पर दिनांक 27.08.2005 से लागू माना जावे। इस हेतु पूर्व अवधि का अंशदान सी.आर.ए. सिस्टम में "एरियर" के रूप में शामिल किया जायेगा एवं इस अंशदान की मासिक प्रविष्टि आवश्यक होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


29/11/2021
(प्रेमा गुलाब एक्का)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

पृ० क्रमांक ११३२/एफ २०१८-०४-०४३७१/स्था./चार नवा रायपुर, दिनांक १०/११/२०२१
प्रतिलिपि :-

१. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर
२. मुख्य सचिव के अवर सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
३. सचिव/विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग/उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
४. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
५. कलेक्टर जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़
६. संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन/उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
७. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, दुर्ग छत्तीसगढ़
८. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/जिला कोषालय, राजनांदगांव
९. उप कोषालय अधिकारी, उप कोषालय खैरागढ़
१०. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, अटल नगर नवा रायपुर की ओर वेबसाईट में दर्ज करने हेतु


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग